क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1766/एन–13/420/2022/जनरल

दिनांक : 15/12/2022

Through E-Filling (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding in Compliance of order dated 30-10-2023 in the matter of Surendra Kumar Vs State of U.P. in O.A. No. 420/2022.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 30-10-2023 on matter mentioned above, a compliance is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

(Ashutosh Chauhan)
Regional Officer

Copy to : *following* for information and necessary action please-

1. *CEO-7*, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. *Chief Law Officer*, U.P. Pollution Control Board, Lucknow
3. *Shri Pradeep Mishra*, Advocate for U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

Scanned with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं0 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के अनुपालन के सबंध में निरीक्षण आख्या –

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं0 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के अनुपालन में इकाई मैसर्स गुरु स्वीटस्, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद सम्भल का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 08.12.2023 एवं दिनांक 15.12.2023 को श्री रजनी कान्त तिवारी, पार्टनर की उपस्थिति में कराया गया। आख्या निम्नवत् है–

1 पूर्व में इकाई मैसर्स गुरु स्वीटस् में मुख्य कच्चे माल के रुप में चीनी– 50 किग्रा0/दिन, मेवा– 10 किग्रा0/दिन, दूध– 120 किग्रा0/दिन आदि का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्रकार की मिठाईयां (स्वीटस्) लगभग 60 किग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा औद्योगिक सेक्टर्स की लाल, नांरगी, ग्रीन एवं सफेद श्रेणी के संबंध में जारी वर्गीकरण के अनुसार बेकरी/कन्फेक्शनरी/स्वीट्स उत्पाद (उत्पादन क्षमता 01 टन/दिन से कम, गैस अथवा विद्युत चालित ओवन आधारित) की इकाईयां ग्रीन श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होने के कारण तथा इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुंपालन न किये जाने के फलस्वरुप बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 80626/सी–7/शिका./44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अर्न्तगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुक्रम में इकाई द्वारा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया। बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 87426/ सी–7/शिका./44/2023 दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से पूर्व में जारी कारण बताओं नोटिस के कम में इकाई के विरुद्ध रु0 1,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अधिरोपित अर्थदण्ड जमा किये जाने तथा उत्पादन कार्य यथावत् बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये गये है (छायाप्रतियां संलग्न)। इकाई स्वामी द्वारा रु0 1,75,000/– की धनराशि जमा नही की गयी है।

2 इकाई के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 1,75,000/– जमा न किये जानें के कारण जिलाधिकारी, जनपद सम्भल को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 03038/सी–7/ई.सी.–520/2023 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

3 अद्यतन निरीक्षणों में इकाई परिसर में किसी प्रकार की भट्ठी एवं अन्य संयंत्र स्थापित नही पाये गये तथा किसी प्रकार की औद्योगिक प्रकिया होती हुई नही पायी गयी। स्थल पर मात्र दूध की बिकी का कार्य होता पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।

(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Scanned with OKEN Scanner

मैसर्स गुरु स्वीटस्, चन्दौसी–अमरोहा रोड, सम्भल का निरीक्षण दिनांक 16.12.2023 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ–

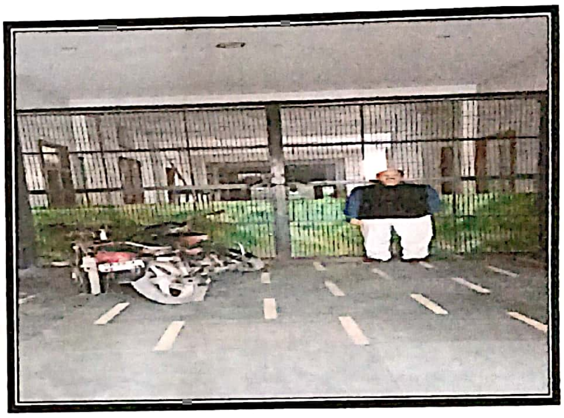

Scanned with OKEN Scanner

H80626 | सी-7 | शिका-प | पर्या-का-01-जो-122 2-9-22

65

सेवा में,

मै० गुरू स्वीट्स,
एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल।

यह कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाव नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयाँ लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–420/2022, सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाव नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.07.2022 को किया गया। इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाव नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में वर्ष 2021 से संचालित है। इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयाँ लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है। इकाई में जलापूर्ति नगर पालिका परिषद की सप्लाई एवं स्वयं के स्थापित 1.5 एच0पी0 क्षमता के नलकूप से की जाती है। जल आपूर्ति की मात्रा को मापने हेतु इकाई द्वारा कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। इकाई द्वारा जल की खपत कड़ाहे/ट्रे आदि यूटेन्सिल्स की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनों में की जाती है। धुलाई प्रक्रिया से लगभग 500 ली0/दिन उत्प्रवाह जनित होता है, को शुद्धिकृत किये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है एवं उत्प्रवाह को सीधे नगर पालिका के ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। इकाई में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 02 गैस फायर्ड एवं 02 वुड फायर्ड भट्ठियाँ स्थापित पायी गयी। वुड फायर्ड भट्ठियों पर ईधन प्रयोग से जनित गैसीय उत्सर्जन हेतु संयुक्त रूप से भू–तल से लगभग 30 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। इकाई द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाव नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाए कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन में प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई का होगा।

(जी0सी0 आर्या)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, सम्भल को सादर सूचनार्थ।
2 अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, तहसील–सदर, जिला–सम्भल को सूचनार्थ।
3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H87426 /सी–7/शिका0–44/23 दिनांकः 17/01/23

डायरी नं० 20 सीरियल नं० फाइल नं० दिनांक 30-1-23

सेवा में,

मै0 गुरू स्वीट्स,
एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल।

विषयः–इकाई के विरूद्ध बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को रू0 1,75,000/–की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आपके प्रत्यावेदन दिनांक 19.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि इकाई में उत्पादन कार्य पूर्णतया बन्द कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 में इकाई में उत्पादन कार्य हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाये गये। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 13.01.2023 एवं 16.01.2023 तथा इकाई माइको स्तर की इकाई होने के दृष्टिगत इकाई पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार इकाई के प्रथम निरीक्षण दिनांक 25.10.2022 से दिनांक 19.12.2022 तक इकाई के संचालन दिवस 35 दिन को संज्ञान में रखते हुए निम्न रूपेण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की जाती हैः–

EC = PI x N x Rx Sx LF

PI = 30 (Green Category)
N = 35 (Defaulter Days)
R = 250
S = 0.5 (Micro)
LF = 1.0

अतः EC = 30x35x250x0.5x1.0
EC = 3750x35
EC = 5000 x 35 (In any case EC shall be minimum Rs. 5000/-)
EC = 1,75,000/-

30/1/23

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरूद्ध रू0 1,75,000/-(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस कारण बताओ नोटिस के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 1,75,000/-(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा किया जाए।

AEO

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा उक्त संदर्भित स्थल पर उत्पादन कार्य यथावत् बन्द रखा जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्व पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत इकाई के विरूद्व पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय इकाई का होगा।

भवदीय

(अभिषेक त्रिपाठी)
प्रभारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ की उक्त निर्देशों के क्रम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अ0 त्रिपाठी
17/1/23
प्रभारी, वृत्त–7

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 703038 /सी–7/ई0सी0–520/2023 Dated 17/11/23

सेवा मे,
जिलाधिकारी,
जनपद–सम्भल।
मो0नं0–9454416890

डायरी नं0 116
दिनांक 28/11/23

विषय: जनपद–सम्भल के उल्लंघनकारी उद्योग (सूची संलग्न–01 उद्योग) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद–सम्भल के उल्लंघनकारी उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–01 उद्योग), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150** में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक:–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद मो0 न0 7839891763 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, सम्भल से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

जनपद–सम्भल में उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्रम संख्या	उद्योग का नाम व पता	प्रेषित पत्र का विवरण		अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि (रू0)
		पत्रांक	दिनांक	
1	Guru Sweets, Axis Bank & Panjab National Bank ke Peeche, Chandausi-Amroha Road, Tehsil & District-Sambhal	H87426/C-7/Shik-44//2023	17-01-2023	175000.00

Scanned with OKEN Scanner